(60)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
**अध्यक्ष**

प्रकरण कमांक निगरानी 3740–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–6–2012 पारित द्वारा तहसीलदार नलखेडा जिला शाजापुर, प्रकरण कमांक 2/अ–12/2011–12

---

1–इस्माईल खॉ पिता इनायतखॉ
2–मोहसिनउल्लाखॉ पिता इनायत खॉ
3–एहसानउल्ला खॉ पिता इनायत खॉ
समस्त निवासी कस्बा नलखेडा तहसील नलखेडा
जिला शाजापुर.

.....आवेदकगण

**विरूद्ध**

राजेन्द्रकुमार जैन पिता ताराचन्द्र जैन
निवासी नलखेडा जिला शाजापुर .....अनावेदक

---

श्री ए0आर0यादव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री भूपेन्द्र जाजू, अभिभाषक, अनावेदक

---

## :: आ दे श ::

**(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार नलखेडा जिला शाजपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम डोकरपुरा तहसील नलखेड़ा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 22/1 रकबा 0.510, सर्वे नम्बर मिन 223/1 रकबा 0.147, सर्वे नम्बर 224/1 रकबा 0.555, सर्वे नम्बर 225/1 रकबा 0.878, सर्वे नम्बर 225/2 रकबा 0.669 के सीमांकन हेतु आवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया किया। तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 30–6–2012 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा उक्त सीमांकन आवेदन के साथ जो भूमि का खसरा प्रस्तुत किया गया है उसमें ग्राम का नाम नहीं लिखा गया है केवल सर्वे नम्बर लिखे गये हैं । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् सूचना पत्र तामील नहीं कराया गया है और ना ही सीमांकन में पडोसी कृषकों को सूचना दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन दल द्वारा किये गये सीमांकन की फील्ड बुक भी नहीं बनाई गई है बिना फील्डबुक के सीमांकन कार्यवाही पूर्ण नहीं मानी जा सकती है । उनके द्वारा सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् सीमांकन कार्यवाही की जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं है । उनके द्वारा सीमांकन आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचनामें के अनुसार आवेदक सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित थे, परन्तु उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया है, लेकिन तहसील न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन प्रकिया त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सीमांकन कार्यवाही में फील्डबुक व नक्शा आदि नहीं बनाया गया है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसील न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही

निरस्त करते हुये प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत बने प्रावधानों के अनुसार सीमांकन की कार्यवाही की जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नलखेडा जिला शाजपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत विधिवत् कार्यवाही कर सीमांकन आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर